न्यायालय श्रीमान् संभागीय आयुक्त अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या/पैरोल/2023/01/ जिला–अजमेर

बल्भाराम पुत्र श्री घासी राम जाट, निवासी– नयां गांव, हरमाडा, पुलिस थाना– बान्दरसिंदरी, जिला– अजमेर (राज0)

(हाल बंदी– उच्च सुरक्षा कारागृह– अजमेर)

जरिये भान्जा– दिनेश चौधरी पुत्र श्री रामरूख चौधरी, उम्र– 29 वर्ष, निवासी– रामनेर की ढाणी (सरदार सिंह की ढाणी) अजमेर (राज0) ।

.....अपीलार्थी

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

बनाम

1. जिला पैरोल सलाहकार समिति, जरिये जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ।
2. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर ।

.....प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 18, राजस्थान कैदियों की पैरोल रिहाई नियम, 2021 के अन्तर्गत, जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति अजमेर की बैठक एवं निर्णय दिनांक 10–10–2022

उपस्थितिः–1. श्री बी.आर. चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी

2. श्री पारस अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर, प्रत्यर्थीगण

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांक :–23–01–2023

अपील के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि– अपीलार्थी बल्भाराम को मा0 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क0सं0–4, अजमेर (राज0) सैशन प्रकरण संख्या–27/2012 (92/2011) में अपराध अन्तर्गत धारा 302, 364, 120–बी, भा0दं0सं0 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी एवं उक्त प्रकरण में अपीलार्थी उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है।

अपीलार्थी ने 40 दिवस की तृतीय नियमित पैरोल वास्ते जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत, जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति, अजमेर की बैठक एवं निर्णय दिनांक 10–10–2022 द्वारा अपीलार्थी का 40 दिवस की तृतीय नियमित पैरोल प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी की ओर यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख/रेकार्ड तलब गया। दोनों पक्ष को सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से श्री बी.आर. चौधरी ने बहस के दौरान मुख्य मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थी, राजस्थान कैदियों की पैरोल रिहाई नियम 2021 के नियम–10 के तहत 40 दिवस की तृतीय पैरोल पर रिहा होने के लिए पात्र है। अपीलार्थी पूर्व में क्रमशः 20 दिवसीय व 30 दिवसीय, प्रथम व द्वितीय पैरोल का उपभोग कर तय समय पर दाखिल हो चुका है एवं दौराने पैरोल अपीलार्थी के विरूद्ध कोई किसी तरह के दुराचरण की शिकायत नही आई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन रहा है कि पैरोल परामर्शदात्री समिति के आक्षेपित आदेश 10–10–2022 के विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय राज0 उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर के समक्ष याचिका दायर की थी जिसमें मा0 न्या0 ने उक्त याचिका को दिनांक 06/12/2022 को निस्तारित फरमाते हुए श्रीमान् को आदेश/निर्देश फरमाया है कि नियम–18 के तहत संभागीय आयुक्त को अपील में श्रवणाधिकार है इसलिए अपील को सुना जाकर 30 दिवस में निस्तारित किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी का जेल आचरण संतोषप्रद है एवं पैरोल नियम–10 के तहत तृतीय पैरोल में सिर्फ यह

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

देखा जाएगा की, प्रथम व द्वितीय नियमित पैरोल के दौरान बंदी का आचरण कैसा रहा। अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि प्रथम व द्वितीय नियमित पैरोल के दौरान अपीलार्थी का आचरण संतोषप्रद रहा एवं तय समय पर अपीलार्थी जेल दाखिल हो गया था, अतः अपीलार्थी को 40 दिवस की तृतीय नियमित पैरोल पर रिहा फरमाया जावे।

प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री पारस अधीक्षक उच्च सुरक्षा कारागृह ने अपीलार्थी को पैरोल पर रिहा किया जाने का घोर विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 4 अजमेर के प्रकरण संख्या 27/12 (92/11) एफ.आई.आर सख्या 28/11 में अन्तर्गत धारा 364/120 बी/34, 302/120 बी, भादस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाकर सजा भुगत रहा है। जिला परामर्शदात्री की बैठक दिनांक 10–10–2022 के अनुसार बंदी को पेरोल दिया जाता है तो बंदी के जानमाल को खतरा है व फरार होने की पूर्ण संभावना है क्योकि बंदी के खिलाफ हत्या के दो प्रकरण विभिन्न धाराओं में दर्ज है। बंदी थाने का एच.एस. व जिला स्तरीय हार्डकोर अपराधी है जो बंदी के द्वारा दौराने पैरोल अभियोजक पक्ष व अन्य के साथ गंभीर घटना कारित करने की पूर्ण संभावना है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से बंदी की 40 दिवस तृतीय नियमित पैरोल अस्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैनें दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रेकार्ड का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की ओर से जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति, अजमेर के आलौच्य आदेश दिनांक 10–10–2022 के विरूद्ध माननीय राज0 उच्च न्यायालय के समक्ष D.B. CRIMINAL WRIT PETITION NO.- 715/2022 BALBHA RAM V/S STATE OF RAJASTHAN & ORS प्रस्तुत की गई थी, जिसे मा. राज. उच्च न्यायालय ने दिनांक 06–12–2022 को निस्तारित करते हुए, अपीलार्थी को आदेशित किया गया कि अपीलार्थी DIVISIONAL COMMISSIONER/ APPELLATE AUTHORITY के समक्ष 7 दिवस में अपील प्रस्तुत करे एवं APPELLATE AUTHORITY को निर्देश दिये कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण करे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का ससम्मान अवलोकन किया गया।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि अपीलार्थी का वर्तमान में जेल का आचरण संतोषप्रद है एवं अपीलार्थी ने मय परिहार के करीब 12 वर्ष 7 माह की सजा भुगत ली है एवं अपीलार्थी ने 20 दिवस की प्रथम व 30 दिवस की द्वितीय

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

नियमित पैरोल का उपभोग कर बिना किसी दुराचरण के तय समय पर जेल दाखिल हो गया था, लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस रिकार्ड के मुताबिक अपीलार्थी के विरूद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है एवं पैरोल पर रिहा होने के उपरांत वापिस आपराधिक षडयंत्र में उसकी संलिप्तता से इन्कार नही किया जा सकता है एवं पैरोल के दौरान फरार होने की भी पूर्ण संभवाना है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा पत्रवली में उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों एवं पुलिस रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों एवं पैरोल पर रिहा होने के उपरांत फरार होने की संभावना को मध्यनजर रखते हुए जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2022 विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23–01–2023 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with CamScanner